

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13)/316/वि.कार्य/2018-19/ 1487-88

दिनांक - 21.08.19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।


विषय:- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 12 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 12, जो कि दिनांक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्या: डी.ई.-25 (13)/316/वि.कार्य/2018-19/ 1487-88 दिनांक - 21.08.19
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 (150 प्रतियाँ)।



(एस.सी. मीणा)

उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

g/c

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 12

दिनांक :- 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री विजेंद्र गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	प्राथमिकता-1 के अंतर्गत क्लासरूम निर्माण के संबंध में बताएँ कि भवनानुसार और विद्यालयानुसार, कितने-कितने कमरे अभी बनाए जाने हैं;	प्राथमिकता-1के अंतर्गत क्लासरूम बनाने एवं अन्य रवीकृत किए गए कार्यों का निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और केवल 72 समकक्ष कमरों का निर्माण शेष है।
ख)	भवनानुसार और विद्यालयानुसार प्राथमिकता-1 के अंतर्गत हॉर्टीकल्चर, लैंडस्केपिंग सहित कितना काम शेष रह गया है,	
ग)	क्या प्राथमिकता-1 के अंतर्गत लो.नि.वि. द्वारा लागत में कोई वृद्धि की गई है;	विभिन्न प्राथमिक प्राक्कलनों में अनुमानित लागत में कुछ वृद्धि की गई जिसके लिए मुख्यतः निम्नलिखित घटक उत्तरदायी है-
घ)	लागत वृद्धि के क्या कारण हैं,और	<ol style="list-style-type: none">1. प्लिन्थ एरिया में बढ़ोत्तरी।2. नए घटकों को शामिल करना जैसे एस.टी.पी., आर.डब्ल्यू.एच. इत्यादि।3. सेवाकर का भुगतान (जो कि पहले लागू नहीं था।)4. उच्च गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल जैसे बाहरी इमारत पर ब्रिक टाइल कलेडिंग, सीढ़ियों में, प्रयोगशालाओं में व शौचालयों इत्यादि में ग्रेनाइट पत्थर, कक्षाओं व बरामदों में विट्रीफाईड टाइल, प्रधानाचार्यों, उप-प्रधानाचार्य व अन्य अधिकारियों के कमरों में, प्रयोगशालाओं में व एम.पी. हॉल में फॉल्स सीलिंग का प्रावधान, सीढ़ियों, बरामदों में स्टीलनुमा रेलिंग का प्रावधान इत्यादि।5. अन्य विभिन्न कारण इत्यादि।
ड0)	क्या लो.नि.वि. द्वारा लागू किए जाने से पूर्व इन कारणों का अनुमोदन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है?	जी हाँ।


DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi